

297/25

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक-

ग्रामीण सेवा शिबिर

कैम्प काट

2025/533


क.म.के. बनाम 172816

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 16-10-25

पटवारी हल्का 21EC भू अभिलेख निरीक्षक 21EC की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम 21EC के खाता संख्या 83, 84 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रतिष्ठि	शुद्धि उपरान्त प्रतिष्ठि	वि. विवरण
01	21EC	83		ग.सि-21EC	ग.सि-21EC	
02	21EC	84		ग.सि-21EC	ग.सि-21EC	
03						
04						

  
उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

कैम्प काट 21EC

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उपरान्तनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का 21EC ।
03. प्रार्थी..... ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नादौती

